

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

SM

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू वि दि / सम्बद्धता / 2022 / 1189
दिनांक: 04/12/22

सेवा में,

प्रबन्धक,
मालती महिला महाविद्यालय,
सआदतपुर, जंगीपुर, गाजीपुर।

विषय- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला शाखा के अन्तर्गत प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-22.11.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 20.03.2021 के क्रम में शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 तथा 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर प्राचार्य पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	पद नाम
	डॉ० संतोष कुमार सिंह आधार नं०-905555851540	श्री बच्चा सिंह	12.12.1981	एम०ए०, पी०-एच०डी०	प्राचार्य

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूचना है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ता के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्स्ट्रिब्यूटरी प्रोविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
मालती महिला महाविद्यालय,
सआदतपुर, जंगीपुर, गाजीपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/2021/ 10986

दिनांक :

07-12-21

विषय:— स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में प्रवक्ता पदों पर अभ्यर्थियों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-22.11.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति जी के आदेश दिनांक 02.12.2021 के अनुक्रम में शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 तथा 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु प्रवक्ता के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया है कि उक्त अनुमोदन सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	विषय/पद नाम
1.	श्री अनिल कुमार गौतम आधार नं०-824234500767	श्री राम लखन	22.07.1986	एम0ए0, नेट	हिन्दी
2.	श्री प्रेम सागर आधार नं०-741960517166	श्री ओमप्रकाश जायसवाल	05.07.1988	एम0ए0, नेट	संस्कृत
3.	दीपमाला सिंह आधार नं०-563106997062	श्री महेन्द्र सिंह	12.09.1982	एम0ए0, नेट	गृहविज्ञान
4.	श्री अखिलेश कुमार गौतम आधार नं०-343532390109	श्री हरिहर राम	07.07.1985	एम0ए0, नेट	भूगोल
5.	श्री सुभाष चन्द्र पाल आधार नं०-713553763981	श्री दयाराम	22.08.1988	एम0ए0, नेट	शिक्षाशास्त्र
6.	डॉ० राजेश कुमार यादव आधार नं०-528327804944	श्री रामनारायण यादव	01.01.1980	एम0ए0, पी0एच0डी0	राजनीतिशास्त्र
7.	डॉ० घनश्याम गोडाम आधार नं०-280961041266	श्री सुमेर गोडाम	26.01.1983	एम0ए0, पी0एच0डी0	समाजशास्त्र

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा विभागाध्यक्ष के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,